11

यात्रा भत्ता

विषय सूची

क्र0 सं0	विषय	शासनादेश सं0 तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	अवकाश यात्रा सुविधा को दो वर्ष के लिए निलम्बित रखा जाना	सं0–6763 / वि0सं0शा0 / 2001, देहरादून, दिनांक–27 अगस्त, 2001	145–146
2	अवकाश यात्रा सुविधा को दो वर्ष के लिए निलम्बन के शासनादेश, दिनांक 27 अगस्त, 2001 में संशोधन	सं0–595 / वि0अनु0–3 / 2002, देहरादून, दिनांक–24 अक्टूबर, 2002	147–148
3	सरकारी सेवकों की अवकाश यात्रा सुविधा को पुनःस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में	सं0–1115 / वि0अनु0–3 / 2003, देहरादून, दिनाक–31 दिसम्बर, 2003	149–158
4	वेतन समिति (1997–99) के नवें प्रतिवेदन की संस्तुतियों के आधार पर स्थाई मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) की दरों का पुनरीक्षण	सं0–1332 / XXVII(3)मा / 2004, देहरादून, दिनांक–02 अगस्त, 2004	159–160
5	अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान के विषय में व्यवस्था	सं0–1422 XXVII(3) स्था0या0भ0 / 2004 लखनऊ, दिनांक–27 अक्टूबर, 2004	161–162
6	सरकारी सेवकों को अवकाश यात्रा सुविधा विषयक पूर्व निर्गत शासनादेश, दिनांक 31 दिसम्बर, 2003 के कतिपय बिन्दुओं में संशोधन	सं0–330 XXVII / (3)अ0या0सु0 / 2005, देहरादून, दिनांक–18 अगस्त, 2005	163–164
7	राज्य परिवहन निगम की वातानूकूलित बस कोचेज की अनुमन्यता	सं0–76 XXVII(7) या0भ0 / 2005, देहरादून, दिनांक–30 नवम्बर, 2005	165–166
8	यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण	सं0–78 / XXVII(7) / 2009, देहरादून, दिनांक–01 मार्च, 2009	167–172
9	स्थानान्तरण पर घरेलू सामान की ढुलाई की दरें	सं0–100 / XXVII(7) / 2009, देहरादून, दिनांक–31 मार्च, 2009	173–174

संख्या--6763/वि.सं.शा./2001

प्रेषक,

श्री इन्दु कुमार पान्डे
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष
उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक:27 अगस्त,2001

विषय:--अवकाश यात्रा सुविधा को दो वर्ष के लिए निलम्बित रखा जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के नियमित पूर्ण कालिक सरकारी सेवकों को प्रथम 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने के उपरान्त कलैन्डर वर्ष के आधार पर अवकाश के दौरान भारत में स्थित किसी स्थान के भ्रमण हेतु जाने तथा वापस आने के संबंध में सरकारी सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा की गयी यात्राओं के लिए कतिपय शर्तो के अधीन यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य की गयी थी। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए राज्याधीन सेवकों के लिए उक्त अवकाश यात्रा सुविधा को दो वर्ष की अवधि के लिए तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित रखे जाने का निर्णय लिया गया है। अतः श्री राज्यपाल महोदय पूर्ववर्ती राज्य उ0प्र0 के शासनादेश संख्या--सा--4-62 /दस- 96-604/82, दिनांक- 18 मार्च,1996 द्वारा शासकीय सेवकों हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की योजना को उक्त सीमा तक संशोधित करते हुए इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निलम्बित रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:--

1-- ऐसे कर्मचारियों की जिनकी सेवा निवृति में 02 वर्ष से कम का समय रह गया है तथा उन्होंने ब्लाक अवधि में अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग नहीं किया है, पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

2-- ऐसे कर्मचारी जिनके द्वारा आदेश जारी होने के पूर्व अवकाश यात्रा प्रारम्भ की जा चुकी है वह अपनी वापसी की यात्रा नियमानुसार पूर्ण कर सकेंगे।

3-- जिन कर्मचारियों द्वारा टिकट बुक कराये जा चुके हैं। उन्हें निरस्त कराते हुए इस पर होने वाली क्षतिपूर्ति सम्बन्धित विभागों द्वारा कर्मचारी को कर दी जायेगी तथा यदि कोई अग्रिम दिया गया है तो उसे बिना किसी दण्ड ब्याज के वापस तुरन्त जमा करा लिया जायेगा।

4-- जहाँ तक प्रदेश सरकार के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का सम्बन्ध है वह अवकाश यात्रा सुविधा के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा बनाए गये नियमों से शासित होते है। अतः इस राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को अनुमन्य अवकाश यात्रा सुविधा के सम्बन्ध में भारत सरकार के द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध इस सम्बन्ध में इस शासनादेश के लागू होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगे।

5— अवकाश यात्रा सुविधा के निलम्बन आदेश प्रदेश सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों तथा राज्य सरकार द्वारा आंशिक या पूर्णरूप से वित्त पोषित संस्थाओं पर भी लागू होंगे।

6— परिवार कल्याण योजना में ग्रीन कार्ड होल्डर्स को पूर्व से देय एक विशेष यात्रा अवकाश सुविधा, यदि अभी तक उपयोग नहीं किया गया है, यथा अनुमन्य शर्तों के अधीन लागू रहेगा।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगें।

भवदीय,

इन्दु कुमार पान्डे
सचिव , वित्त

संख्या–6763/वि0सं0शा0/2001 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 5 ए थार्न हिल रोड, सत्य निष्ठा भवन, इलाहाबाद।
2— सचिव विधान सभा, उत्तरांचल ।
3— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव उत्तरांचल।
4— समस्त अनुभाग,उत्तरांचल शासन।
5— समस्त मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी /कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
6— समस्त विभागाध्यक्षों के यहाँ वित्त एवं लेखा सेवा के वरिष्ठतम् अधिकारीगण।

आज्ञा से,

(के0सी0मिश्र)
अपर सचिव,वित्त।

My Documents\shukla Ram

संख्या: 595 /वि0अनु03/2002

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

सचिव,
न्याय एंव विधायी,
उत्तरांचल ।।

वित्त अनुभाग-3 देहरादून: दिनांक:24 अक्टूबर 2002

विषय:- अवकाश यात्रा सुविधा को दो वर्षों के लिए निलम्बन के शासनादेश दिनांक 27 अगस्त,2001 मे संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 6763/वि0सं0शा0/2001 दिनांक 27 अगस्त,2001 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन अवकाश यात्रा सुविधा के विषय मे तात्कालिक प्रभाव से कतिपय प्रतिबन्धों के अधीन रोक लगाई गई थीं। भारत सरकार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों को शासनादेश संख्या-एल-11025/10/2001-जस दि0 30 मई,2001 द्वारा रोक से बाहर रखा गया है अतः इसी के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय उत्तरांचल उच्च न्यायालय मे मा0 न्यायमूर्तियों को भी उक्त प्राविधान की परिधि से बाहर रखने की स्वीकृति प्रदान करते है ।

उपरिउल्लिखित शासनादेश केवल उपरोक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय । इसके शेष सभी प्राविधान यथावत लागू रहेगें ।

भवदीय

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव,वित्त

संख्या: 595 / वि0अनु03/2002 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव कार्मिक,उत्तरांचल शासन,देहरादून ।
2. महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी) 5 ए ट्रानिहिल रोड, सत्य निष्ठा भवन इलाहाबाद/देहरादून उत्तरांचल
3. रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय,देहरादून ।
4. सम्बन्धित अनुभाग,उत्तरांचल सचिवालय ।
5. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरि0कोषाधिकारी उत्तरांचल ।

6. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें,23 लक्ष्मी रोड,देहरादून ।

7. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(हस्ताक्षर)

(के० सी० मिश्र)

अपर सचिव,वित्त

संख्या:1115/वि0अनु0-3/2003

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव,वित्त,
उत्तरॉचल शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरॉचल ।

वित्त अनुभाग-3 देहरादून: दिनांक 31 दिसम्बर, 2003

विषय:-सरकारी सेवकों की अवकाश यात्रा सुविधा को पुन:स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-6763/वि0सं0शा0/2001,दिनांक 27 अगस्त,2001 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश निर्गत होने की तिथि से अवकाश यात्रा सुविधा को दो वर्ष के लिए निलम्बित कर दिया गया था । इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय अवकाश यात्रा सुविधा को, इस विषय पर पूर्व में निर्गत शासनादेशों का अतिक्रमण करते हुए निम्न शर्तों/ विस्तृत अनुदेशों के अनुसार शासनादेश दिनांक 27 अगस्त,2001 द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध को समाप्त करते हुए उक्त सुविधा को शासनादेश निर्गत होने की तिथि से पुन:स्थापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1. **अवकाश यात्रा सुविधा का अभिप्राय:**-इस सुविधा के अन्तर्गत सरकारी सेवकों को अवकाश के दौरान भारत में स्थित किसी स्थान के भ्रमण हेतु जाने तथा वापस आने के सम्बन्ध में सरकारी सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा की गई यात्राओं के लिए कतिपय शर्तों के अधीन यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी ।

2. **पात्रता का क्षेत्र:**-अवकाश यात्रा सुविधा नियमित पूर्णकालिक सरकारी सेवकों को पाँच वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण करने के उपरान्त कैलेण्डर वर्ष के आधार पर अनुमन्य होगी।

यह सुविधा ऐसे सरकारी सेवकों को भी अनुमन्य होगी जो सार्वजनिक उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर है परन्तु जो वरिष्ठ अधिकारी सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक के पदों पर जायेंगे उन्हें यह सुविधा नहीं उपलब्ध होगी । प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारियों को यह सुविधा निम्नांकित को अनुमन्य नहीं होगी:-

(1) ऐसे सरकारी सेवक जो राज्य सरकार की पूर्णकालिक सेवा में नहीं है ।

(2) ऐसे सरकारी सेवक जिनके वेतन/भत्तों का भुगतान आकस्मिक व्यय(कान्टिजेन्सीज) से किया जाता है ।

(3) वर्कचार्ज्ड कर्मचारी ।

(4) ऐसे सरकारी सेवक जिन्हें राज्य सरकार के नियमों से भिन्न किन्हीं अन्य नियमों के अन्तर्गत पहले से ही अवकाश यात्रा सुविधा अथवा इसी प्रकृति की कोई अन्य सुविधा ग्राह्य है ।

3. **सुविधा की आवृत्ति:**-यह सुविधा न्यूनतम 5 वर्षो की सेवा पूर्ण करने पर प्रत्येक 10 वर्ष की सेवा अवधि में एक बार अनुमन्य होगी।इस प्रकार 5 वर्ष से 10वर्ष की सेवावधि में

प्रथम बार, 11 वर्ष से 20 वर्ष की सेवावधि में दूसरी बार, 21 वर्ष से 30 वर्ष की सेवावधि में तीसरी बार तथा 30 वर्ष से अधिक की सेवा होने की स्थिति में चौथी बार अनुमन्य होगी। प्रतिबन्ध यह भी है कि पूर्व में अप्रयुक्त अवकाश यात्रा सुविधा के आधार पर कोई अतिरिक्त अनुमन्यता देय नहीं होगी ।

4. परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्ड(परिचय-पत्र)धारकों को एकएक अतिरिक्त अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमन्यता:-ग्रीनकार्ड धारकों को उनके सम्पूर्ण सेवाकाल में एक अतिरिक्त अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य होगी । ग्रीनकार्ड धारक अन्य सरकारी कर्मचारियों की भाँति उक्त सुविधा सामान्य नियमों के अन्तर्गत प्राप्त कर सकते है । ग्रीन कार्ड के आधार पर अतिरिक्त सुविधा वह किसी भी एक अवसर पर अवकाश यात्रा सुविधा प्राप्त कर सकते है शर्त यह होगी कि एक ही वर्ष में दो अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य नहीं होगी ।

5. आवेदन का प्रारूप:-अवकाश यात्रा सम्बन्धी आवेदन-पत्र/घोषणा प्रमाण-पत्र इस शासनादेश के अनुलग्नक के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के लिए, कैलेण्डर वर्ष के दो माह पूर्व तक दे देना चाहिए, ताकि ज्येष्ठता एवं शासकीय कार्य को दृष्टि में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय से स्वीकृति प्रदान की जा सके ।

6. वरीयता तथा 20 प्रतिशत का प्रतिबन्ध:-यह सुविधा ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जायेगी अर्थात् ज्येष्ठ सरकारी सेवक को यह सुविधा पहले अनुमन्य होगी और उससे कनिष्ठ सरकारी सेवक को यह सुविधा उसके बाद ग्राह्य होगी ।

किसी कैलेण्डर वर्ष में सरकारी सेवकों के किसी संवर्ग विशेष में इस सुविधा के लिये पात्र सरकारी सेवकों में से 20 प्रतिशत से अधिक सरकारी सेवकों को यह सुविधा स्वीकृत नहीं की जायेगी, जिसे संवर्ग विशेष के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

7. अधिकतम दूरी:-अवकाश यात्रा सुविधा भारत वर्ष में किसी भी स्थान पर आने-जाने के लिये न्यूनतम दूरी वाले रास्ते के आधार पर अनुमन्य होगी । गन्तव्य स्थान पर जाते समय अथवा वापसी में सरकारी सेवक तथा उसके परिवार द्वारा रास्तें में एक अथवा उससे अधिक स्थानों पर रूकने अथवा अवस्थान किये जाने में आपत्ति नहीं होगी, परन्तु उसे किराया निर्धारित दूरी के लिये सीधे टिकट के आधार पर ही अनुमन्य होगा ।

8. परिवार की परिभाषा:-यह सुविधा सम्बन्धित सरकारी सेवक को सम्मिलित करते हुए परिवार के केवल चार सदस्यों तक ही सीमित रहेगी । इस सुविधा के प्रयोजनों के लिए परिवार की परिभाषा निम्नवत् होगी:-

> "परिवार" का अभिप्राय सरकारी सेवक की यथास्थिति पत्नी अथवा पति, अविवाहित वैध संतान जो सरकारी सेवक के साथ रहते हों, से है और इसके अन्तर्गत इनके अतिरिक्त, माता-पिता-सौतेली माता, बहनें एवं अवयस्क भाई, तलाकशुदा, परित्यक्ता अथवा पति से अलग हुई तथा विधवा पुत्रियाँ, जो उसके साथ रहते हों और उस पर पूर्ण रूप से निर्भर हों, भी है, किन्तु इसके अन्तर्गत इस नियमावली के प्रयोजन हेतु एक से अधिक पत्नी नहीं है ।
>
> टिप्पणी:-(1)यदि सरकारी सेवक की स्वीय विधि(Personal Law) के अन्तर्गत, गोद ली गयी सन्तान को विधिक दृष्टि से प्राकृतिक संतान का दर्जा प्राप्त है तो दत्तक संतान धर्मज संतान मानी जायेगी ।
>
> (2)सरकारी सेवक की ऐसी धर्मज पुत्रियाँ, दत्तक पुत्रियाँ एवं बहनें जिनका गौना अथवा रूखसत सम्पन्न हो चुका हो, सरकारी सेवक पर पूर्ण रूप से आश्रित नहीं मानी जायेंगी।"

किन्तु परिवार के अन्तर्गत सम्मिलित कोई ऐसा सदस्य, जो भले ही सरकारी सेवक के साथ रह रहा/रही हो तथा जिसकी सभी श्रोतों से आय रूपये 5000/-प्रतिमाह से अधिक है, सरकारी सेवक पर पूर्णतः आश्रित नहीं माना जायेगा तथा इस स्थिति में परिवार के उक्त सदस्य को अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य नहीं होगी ।

9. अवकाश की प्रकृति :-इस सुविधा का उपभोग करने के लिए कर्मचारी द्वारा न्यूनतम 15 दिन का उपार्जित अवकाश का उपभोग करना अनिवार्य होगा ।

10. सरकारी सेवक तथा उसके परिवार के सदस्यों के लिये अधिकृत श्रेणी:-सरकारी सेवक तथा उसके परिवार के सदस्यों को रेल की उस श्रेणी में यात्रा सुविधा अनुमन्य होगी जिसके लिये सरकारी सेवक यात्रा भत्ता नियमों के अधीन दौरे पर यात्रा करने के लिये सामान्यतः अधिकृत है । परन्तु रू0-8000/-प्रतिमाह या उससे अधिक मूल वेतन पाने वाले सरकारी सेवक प्रथम श्रेणी के अतिरिक्त वातानुकूलित कोच द्वितीय श्रेणी II टायर शयन यान(II क्लास ए0सी0 2 टायर स्लीपर) तथा रू0-5000/-से रू0-7999/- प्रतिमाह तक मूल वेतन पाने वाले सरकारी सेवक प्रथम श्रेणी के अतिरिक्त वातानुकूलित कोच कुर्सीयान(चेयरकार) तथा II क्लास ए0सी0 3 टायर स्लीपर से यात्रा करने हेतु अधिकृत होंगे । किन्तु इस सुविधा के अन्तर्गत **रेल की वातानुकूलित कोच प्रथम श्रेणी से यात्रा** नहीं की जा सकती है,लेकिन उपर्युक्तानुसार अनुमन्यता "राजधानी एक्सप्रेस" से की जाने वाली यात्राओं के संबंध में भी लागू रहेगी ।

11. रेल मार्ग के अतिरिक्त यात्रा:-अवकाश यात्रा सुविधा हेतु किसी भी स्थान के लिए रेल मार्ग के अतिरिक्त वायुयान, जलयान, निजी कार(जो स्वयं की हो) या उधार अथवा किराये पर ली गयी हो अथवा चार्टर्ड बस, वैन अथवा अन्य ऐसे वाहन, जो कि निजी स्वामित्व के हों अथवा निजी संस्थाओं द्वारा संचालित किये जा रहे हों, से यात्रा की अनुमति नहीं होगी। **किन्तु सड़क मार्ग से यात्रा** ऐसे स्थानों के लिए जो रेल मार्ग से न जुड़े हों अथवा केवल निवास स्थान से (यदि निवास स्थान रेलवे स्टेशन से न जुड़ा हो) निकटतम रेल हेड तक । तत्पश्चात् रेल मार्ग से गन्तव्य स्थान (यदि गन्तव्य स्थान रेल मार्ग मे न जुड़ा हो) के निकटतम रेल हेड से गन्तव्य स्थान तक, संबंधित राज्य के परिवहन निगम या विभाग/प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नियमित बस सेवा, जो निश्चित अन्तराल पर निर्धारित किराये पर संचालित होती हो, से अनुमन्य होगी । उक्त सुविधा के साथ सर्कुलर टूर टिकट का भी उपयोग किया जा सकता है ।

12. उच्चतर/निम्नतर श्रेणी में यात्रा:-यदि रेल यात्रा अधिकृत श्रेणी से उच्चतर श्रेणी में की जाती है तो उस स्थिति में रेल की निम्नतर श्रेणी का वास्तविक किराया अनुमन्य होगा।

13. आनुषंगिक भत्ता, दैनिक भत्ता तथा सड़क मील भत्ता वर्जित:-इस सुविधा के अन्तर्गत यात्रा पर कोई आनुषंगिक भत्ता, दैनिक भत्ता तथा सड़क मील भत्ता अनुमन्य नहीं होगा ।

14. जब पति/पत्नी दोनों सरकारी सेवक हों:-यदि पति तथा पत्नी दोनों ही सरकारी सेवक हों तथा पति और पत्नी दोनों को उक्त सुविधा अनुमन्य हो, तो उस स्थिति में यह सुविधा पति अथवा पत्नी में से किसी एक को ग्राह्य होगी । चूँकि रेलवे विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों को भारत के किसी भी भू-भाग पर रेल द्वारा जाने-आने हेतु निःशुल्क रेलवे पास उपलब्ध कराये जाते हैं अतः अन्य राज्य कर्मचारियों की भांति ऐसे राज्य कर्मचारियों को, जिनके पति अथवा पत्नी(जैसी भी स्थिति हो) रेलवे विभाग में कार्यरत है, अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

15. दावे का व्यपगत हो जाना:-यदि सरकारी सेवक इस सुविधा के सम्बन्ध में अपना दावा वास्तविक यात्रा के एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत नहीं करता है तो उसका दावा व्यपगत हो जायेगा ।

16. **अग्रिम की स्वीकृति:-**

(1) इस सुविधा का उपभोग करने के लिए राजकीय सेवकों को अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है । अग्रिम की अधिकतम धनराशि दोनों ओर की यात्रा के लिए व्यय की अनुमानित धनराशि जिसकी राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति करनी होगी, के 4/5 भाग तक सीमित होगी ।

(2) अग्रिम दोनों ओर यात्रा के लिए यात्रा प्रारम्भ करने के पूर्व इस प्रतिबन्ध के साथ आहरित किया जा सकता है कि राजकीय सेवक द्वारा लिये गये अवकाश की अवधि 3 माह या 90 दिन से अधिक न हो । यदि अवकाश की अवधि तीन माह या 90 दिन से अधिक होगी तो केवल गन्तव्य स्थान तक जाने के लिए ही अग्रिम आहरित किया जा सकेगा ।

(3) यदि अवकाश की अवधि तीन माह या 90 दिन से अधिक हो जाती है और अग्रिम दोनों ओर की यात्रा के लिए पहले ही आहरित किया जा चुका है तो सरकारी सेवक को आधी धनराशि तत्काल वापस करनी होगी ।

(4) अस्थायी राजकीय सेवकों को अग्रिम एक स्थायी राजकीय सेवक की जमानत देने पर स्वीकृत किया जा सकेगा ।

(5) अग्रिम कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जायेगा ।

(6) यात्रा अग्रिम स्वीकृत करने के एक माह के अन्दर यात्रा करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा की स्थिति में पूर्ण धनराशि तुरन्त राजकोष में जमा कर दी जायेगी ।

(7) आहरित अग्रिम के समायोजन हेतु राजकीय सेवक द्वारा अपना दावा वापसी यात्रा पूर्ण होने के एक माह के अन्दर प्रस्तुत किया जायेगा और संबंधित वित्तीय वर्ष के अन्दर ही इसका समायोजन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(8) इस योजना के अन्तर्गत आहरित अग्रिम का लेखा यात्रा पूर्ण होने के बाद उसी प्रकार प्रस्तुत किया जायेगा जिस प्रकार से राजकीय सेवक द्वारा सरकारी कार्य से यात्रा के लिए आहरित अग्रिम के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया जाता है ।

17. **दावा प्रस्तुत करने की विधि:-**इस सुविधा के सम्बन्ध में दावे की प्रतिपूर्ति का बिल यात्रा भत्ता बिल के प्रपत्र पर प्रस्तुत किया जायेगा और बिल के शीर्ष पर "अवकाश यात्रा सुविधा" अंकित कर दिया जायेगा तथा सरकारी सेवक द्वारा इस आशय का सामान्य प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उसके द्वारा वास्तव में यात्राएं पूर्ण कर ली गयी है और यात्राएं उस श्रेणी से निम्नतर श्रेणी में नहीं की गयी है जिसके लिये प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया गया है ।

18. **सुविधा का अभिलेख:-**सरकारी सेवकों द्वारा इस सुविधा का उपयोग किये जाने पर, उनकी सेवा पुस्तिकाओं/पंजिकाओं में एक प्रविष्टि "अनुमन्य प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/ग्रीन कार्ड धारक अवकाश यात्रा सुविधा" शीर्षक के नीचे "दिनांक.............से............तक स्वीकृत/उपभोग की गयी" के रूप में अंकित कर दी जानी चाहिये। सेवा पुस्तिका/सेवा पंजी के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी द्वारा यह कार्य समय से सम्पादित किया जायेगा ।

19. **अनिवार्य साक्ष्य:-** चूँकि नियंत्रक अधिकारी के समक्ष दावे की वास्तविकता तथा उसके औचित्य एवं यात्रा वास्तविक रूप से सम्पादित किये जाने के सम्बन्ध में ऐसे साक्ष्य उपलब्ध नहीं

होते है कि वे उसके आधार पर संतुष्ट हो लें, अत: सरकारी सेवक द्वारा आवकाश यात्रा के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण जैसे टिकट नम्बर/रसीद आदि को अनिवार्य साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाना बाध्यकारी है ।

नियंत्रक अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा सम्पादित की गयी यात्रा तथा इससे सम्बन्धित दावों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यों से पूर्णत: संतुष्ट हो लें और इस हेतु यदि आवश्यक समझें तो यात्रा प्रारम्भ करने पर आरक्षित टिकट/रसीद की, संबंधित संस्था से पुष्टि करा लेंगे । गलत दावा प्रस्तुत करने अथवा गलत दावों के भुगतान किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित कर्मचारी के साथ ही नियंत्रक/आहरण वितरण अधिकारी भी समान रूप से उत्तरदायी होंगे ।

20. **गन्तव्य स्थान की पूर्व घोषणा:**-इस सुविधा के अन्तर्गत गन्तव्य स्थान की घोषणा पहले से की जानी चाहिये । यदि बाद में पूर्व घोषित गन्तव्य स्थान से भिन्न किसी स्थान के भ्रमण हेतु सरकारी सेवक द्वारा निश्चय किया जाता है तो आवश्यक परिवर्तन नियंत्रक अधिकारी की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है ।

21. **नियंत्रक अधिकारी:**-इस सुविधा के सम्बन्ध में नियंत्रक अधिकारी का तात्पर्य उस प्राधिकारी से है जो यात्रा भत्ता नियमों के अन्तर्गत सम्बन्धित सरकारी सेवक के यात्रा भत्ता बिलों के सम्बन्ध में नियंत्रक अधिकारी घोषित है ।

22. **कपटपूर्ण दावों का निस्तारण:**-यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी कर्मचारी के विरुद्ध कपटपूर्ण दावा प्रस्तुत करने के कारण अनुशासनिक कार्यवाही करने का निर्णय लिया जाता है तो इस स्थिति में निम्न प्रकार कार्यवाही अपेक्षित होगी:-

(क) सम्बन्धित कार्मिक अनुशासनिक कार्यवाही के पूर्ण होने तक अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग नहीं कर सकेगा ।

(ख) यदि अनुशासनिक कार्यवाही के पूर्ण होने पर सम्बन्धित कर्मचारी किसी दण्ड का भागी होता है तो उस स्थिति में पारित दण्ड के अतिरिक्त अवकाश यात्रा सुविधा भविष्य के लिए भी समाप्त मानी जायेगी तथा इस स्थिति में नियंत्रक अधिकारी को सम्पूर्ण तथ्यों का लिखित रूप में उल्लेख करना भी आवश्यक होगा।

(ग)अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत संस्तुत अन्य दण्ड भी देय होंगे ।

(घ) यदि कर्मचारी अनुशासनिक कार्यवाही के आधार पर पूर्णत: दोषमुक्त पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे सामान्य रूप से अनुमन्य अवकाश यात्रा सुविधा के अतिरिक्त पूर्व में रोकी गई अवकाश यात्रा सुविधा भी अनुमन्य होगी । सम्बन्धित कर्मचारी को इस स्थिति में इस सुविधा का उपभोग अधिवर्षता की आयु पूर्ण होने से पूर्व करना होगा ।

23. **शर्तों का उल्लंघन करने पर अग्रिम की दण्ड सहित वसूली:**-यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अवकाश यात्रा एवं अग्रिम स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो इस स्थिति में अग्रिम धनराशि की एकमुश्त वसूली के साथ ही स्वीकृत अग्रिम पर सामान्य भविष्य निधि में जमा धनराशि पर देय ब्याज की दर के अनुसार ब्याज के साथ ही दण्डस्वरूप 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज की वसूली किया जाना भी आवश्यक होगा ।

24. निर्धारित प्रमाण-पत्रः-यह सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से कि अवकाश यात्रा सुविधा की समस्त शर्तें संतुष्ट हो गयी है, सरकारी सेवक तथा नियंत्रक अधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण-पत्र अवकाश यात्रा सुविधा के बिल के साथ प्रस्तुत किये जाने चाहिये ।

(क) सरकारी सेवक द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण-पत्रः-

(1) प्रमाणित किया जाता है कि मैंने तथा मेरे परिवार के सदस्यों ने पूर्व घोषित स्थान की यात्रा वास्तव में कर ली है और रेल की उस श्रेणी से निम्नतर श्रेणी में यात्रा नहीं की है, जिसके किराये की प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया जा रहा हे ।

(2) प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अवकाश यात्रा सुविधा के सम्बन्ध में इससे पूर्व अपने तथा अपने परिवार के सम्बन्ध में कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है।

(3) मेरी पत्नी/मेरे पति सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं है/कार्यरत है और उन्होंने स्वयं अपने तथा परिवार के लिये पृथक से अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग नहीं किया है ।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पत्नी/मेरे पति, जिसके लिये अवकाश यात्रा सुविधा का दावा प्रस्तुत किया जा रहा है ....(भारत सरकार/अन्य राज्य सरकार/पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग/निगम/स्वशासी संस्था आदि का नाम)में कार्यरत है जहाँ अवकाश यात्रा की सुविधा अनुमन्य है परन्तु उनके द्वारा अपने सेवायोजक को इस सम्बन्ध में न तो कोई दावा प्रस्तुत किया है और न प्रस्तुत किया जायेगा ।

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर एवं पदनाम ।

(ख) नियंत्रक अधिकारी द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण-पत्रः-

(1) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0...ने अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत बहिर्गामी यात्रा प्रारम्भ करने की तिथि को राज्य सरकार के अधीन 5 वर्ष या उससे अधिक की अनवरत सेवा पूर्ण कर ली है ।

(2) प्रमाणित किया जाता है कि अवकाश यात्रा सुविधा के सम्बन्ध में आवश्यक प्रविष्टियाँ श्री/श्रीमती/कु0.......................................की सेवापुस्तिका/पंजिका में कर दी गयी है ।

नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम ।

25. अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए अवकाश सुविधा उसी प्रकार अनुमन्य होगी,जैसा समय-समय पर भारत सरकार द्वारा मानक एवं प्रक्रिया निर्धारित की जाय ।

26. **लेखा शीर्षकः**-अवकाश यात्रा सुविधा पर होने वाला व्यय (देय अग्रिम सहित) सुसंगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत मानक मद "45-अवकाश यात्रा व्यय" के नामे डाला जायेगा ।

भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे

प्रमुख सचिव ।

संख्या:1115(1)/वि0अनु0-3/2003,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार,उत्तरॉचल,ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग,सहारनपुर रोड,माजरा,देहरादून ।
2. सचिव,विधान सभा,उत्तरॉचल ।
3. सचिव,राज्यपाल,उत्तरॉचल ।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तरॉचल शासन ।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
6. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मीरोड,देहरादून ।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,उत्तरॉचल ।
8. गोपन अनुभाग ।

आज्ञा से,

टी0एन0 सिंह,
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या-1115/वि0अनु0-3/2003, दिनांक 31 दिसम्बर,2003 का अनुलग्नक

अवकाश यात्रा सुविधा हेतु आवेदन-प्रपत्र

1- आवेदक का नाम...

2- पदनाम...

3- विभाग/कार्यालय...

4- मूल वेतन(जो इस समय मिल रहा हो)...

5- स्थायी/अस्थायी(पदनाम सहित)...

6- सेवा प्रारम्भ करने का दिनांक...

7- इससे पूर्व उपभोग की गई अवकाश यात्रा सुविधा का पूर्ण विवरण, यदि कोई हो(आदेश संख्या एवं दिनांक)...

8- ग्रीन कार्ड धारक होने की दशा में:-

(1)क्या वर्तमान आवेदित सुविधा अतिरिक्त अवकाश यात्रा सुविधा के रूप में चाहते हैं/ चाहती है..हॉ/नहीं..

(2)यदि हॉ, तो किस अवधि का...

9- प्रस्तावित यात्रा का पूर्ण विवरण:-

(1)मुख्यालय से..........................तक जाने तथा........................से मुख्यालय वापस

(2)दिनांक..................................से...............................तक की अवधि हेतु

10- प्रस्तावित यात्रा में जाने वाले परिवार के सदस्यों का विवरण:-

क्र0 सं0	नाम	सम्बन्ध	आयु	विवाहित/ अविवाहित	किसी सेवा में हो तो पूर्ण विवरण
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

11- गन्तव्य स्थान का नाम जहॉ यात्रा की जानी है...

(1) दूरी कि0मी0 में (जाना-आना)...

(2) किराया समस्त सदस्यों सहित (जाना आना)...

(3) यात्रा हेतु आवेदित अग्रिम की धनराशि...

12- प्रस्तावित यात्रा के लिए अर्जित अवकाश हेतु आवेदन करने की तिथि..........................

13- पति/पत्नी दोनों सरकारी सेवक होने अथवा दोनों को अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य होने की दशा में:-

(क)पति/पत्नी का नाम...

(ख)पदनाम...

(घ)अवकाश यात्रा सुविधा हेतु विकल्प...

(ङ)पति/पत्नी द्वारा पूर्व में लिए गये अवकाश यात्रा सुविधा का आदेश संख्या व दिनांक..
....

(च)यदि सुविधा नहीं ली गई हो तो संबंधित कार्यालय/विभाग का प्रमाण-पत्र...............

14- अस्थाई कर्मचारी को जमानत देने वाले कर्मचारी के

(1) हस्ताक्षर..................................(2)नाम..

(3) पदनाम तथा विभाग...

घोषणा प्रमाण-पत्र

1-उपरोक्त सूचनाएं मेरी जानकारी में सत्य है ।

2-प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अवकाश यात्रा सुविधा के संबंध में इससे पूर्व इस ब्लाक अवधि में अपने तथा परिवार के संबंध में कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है ।

3-मेरा परिवार जिसके लिए उपरोक्त सुविधा स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदन किया गया है, पूर्णरूप से मेरे ऊपर आश्रित है ।

4-मेरी पत्नी/मेरे पति सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं है/कार्यरत है और उन्होंने स्वयं अपने तथा परिवार के लिये इस ब्लाक अवधि में पृथक से अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग नहीं किया है और न ही करेंगी/करेंगे (कार्यरत होने की दशा में आवश्यक प्रमाण-पत्र सहित)

5-प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पत्नी/मेरे पति जिसके लिए अवकाश यात्रा सुविधा का आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है (भारत सरकार/रेलवे विभाग/राज्य सरकार/पब्लिक सेक्टर अण्डर टेकिंग/निगम/स्वशासी संस्था आदि का नाम) में कार्यरत हैं जहाँ अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य है, परन्तु उनके द्वारा इस ब्लाक अवधि में अपने सेवायोजक को इस संबंध में न तो कोई दावा प्रस्तुत किया है और न प्रस्तुत किया जायेगा । (आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न है)

दिनांक........................ आवेदक के हस्ताक्षर........................

नाम तथा पदनाम...........................

अग्रसारण अधिकारी की अभ्युक्ति/संस्तुति

....

....

....

दिनांक...

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 15 वित्त/431-5-1-2004-500 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3 / 2004
संख्या–1332 / XXVII(3)मा / 2004
देहरादून: दिनांक 02 अगस्त, 2004

कार्यालय–ज्ञाप

विषय:— वेतन समिति **(1997-99)** के नवें प्रतिवेदन की संस्तुतियों के आधार पर स्थाई मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) की दरों का पुनरीक्षण.

अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति 1997–99 के नवें प्रतिवेदन की संस्तुतियों के आधार पर लिए गये निर्णयानुसार महामहिम श्री राज्यपाल सरकारी सेवकों को वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–3 के नियम–38 (1) के अधीन पूर्व से अनुमन्य स्थायी मासिक भत्ते की वर्तमान दरों के स्थान पर इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से निम्न प्रकार पुनरीक्षित दर से स्थाई मासिक भत्ते का भुगतान किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:—

वर्तमान दर (रू0 प्रतिमाह)		पुनरीक्षित दर (रू0 प्रतिमाह)	
मैदानी क्षेत्र	पर्वतीय क्षेत्र	मैदानी क्षेत्र	उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र
30 तक	35 तक	50	75
30 से अधिक 50 तक	35 से अधिक 60 तक	100	125
50 से अधिक 85 तक	60 से अधिक 105	150	200
85 से अधिक	105 से अधिक	200	250

2. स्थाई मासिक भत्ता की अनुमन्यता हेतु वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों यथावत लागू रहेंगे। साथ ही स्थाई मासिक भत्ता की अनुमन्यता के विषय में विभाग यह देख लें कि प्रत्येक माह में कम से कम 20 दिन की यात्रा सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा की गयी हो।

3. इस हेतु पर्वतीय क्षेत्र में उत्तरांचल के केवल वह भू–भाग सम्मिलित होगें जिन्हें सुसंगत नियमों /शासनादेशों के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र माना गया हो।

4. उक्त विषय पर पूर्व में निर्गत किए गए आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेगें।

5. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के सुसंगत नियम में आवश्यक संशोधन यथा समय किया जायेगा।

भवदीय

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव

संख्या–1332(1) / XXVII(3) मा / 2004, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयध्यक्ष, उत्तरांचल।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तरांचल शासन।
3. महालेखाकार, ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून.
4. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
5. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल.
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
7. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. निदेशक, एन.आई.सी. देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(के0सी0 मिश्रा)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्या/522/XXVii(3)स्था.या.भ./2004
लखनऊ:दिनांक 27 अक्टूबर,2004

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान के विषय में व्यवस्था ।

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के केन्द्र सरकार से राज्य सरकार में आने पर यदि अन्यथा नियमों में व्यवस्था न की गई हो, तो राज्य सरकार के स्थानान्तरण यात्रा भत्ते के नियम लागू होने की व्यवस्था है और उत्तर प्रदेश शासन के वित्त (सामान्य) अनु–4 के कार्यालय ज्ञाप सं0 सा–4–395/दस–99–600/99 दिनांक 11 जून,1999 के बिन्दु 11(ब) में एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण होने की दशा में कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रान्ट के रूप में सम्बन्धित सरकारी सेवक को आधे माह के मूल वेतन, अधिकतम रू0 10,000 की सीमा के अधीन धनराशि अनुमन्य की गई है, लेकिन अन्य प्रदेश से अथवा भारत सरकार में प्रदेश के अन्दर आने वाली यात्राओं के विषय में कोई स्पष्ट प्राविधान नहीं है ।

अतः इस सम्बन्ध में अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि विशेष परिस्थितियों में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के भारत सरकार या अन्य राज्यों से आने एवं जाने पर भारत सरकार में लागू स्थानान्तरण यात्रा भत्ता की दरें अनुमन्य करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11 जनू, 1999 के एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण यात्रा भत्ते के नियम लागू रहेंगे तथा उक्त सीमा तक स्थानान्तरण यात्रा भत्ता सम्बन्धी भुगतान संशोधित समझा जाय, परन्तु जिन प्रकरणों में भुगतान किया जा चुका है उसे पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा ।

राधा रतूड़ी
सचिव

2.../

संख्या/422-XXVii(3)स्था.या.भ./2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(i)महालेखाकार,उत्तरांचल, ओबैराय भवन, माजरा, देहरादून ।

(ii)समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव ।

(iii)सचिव,विधान सभा ।

(iv)सचिव, श्री राज्यपाल ।

(v)सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

(vi)समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष ।

(vii)निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें ।

(viii)समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तरांचल ।

(ix)निदेशक, एन0आई0सी0,देहरादून ।

(x)कार्मिक अनु–1 ।

(xi)इरला चेक अनुभाग–1 ।

(xii)गार्ड ।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)

अपर सचिव

संख्या 330 xxvii / (3)अ.या.सु. / 2005

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग–3 देहरादून:दिनांक 18 अगस्त 2005

विषयः सरकारी सेवकों को अवकाश यात्रा सुविधा विषयक पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 31 दिसम्बर, 2003 के कतिपय बिन्दुओं में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1115 / वि0अनु0–3 / 2003 दिनांक 31 दिसम्बर, 2003 के प्रस्तर–10,11, एवं 12 जो कमशः केवल रेल से अधिकृत श्रेणी में यात्रा की अनुमन्यता, रेल के अतिरिक्त अन्य साधनों की अनानुमन्यता तथा रेल यात्रा के अधिकृत श्रेणी से उच्चतर श्रेणी में की गयी यात्रा पर अनुमन्यता के संबंध में है, पर कई संगठनों / विभागों द्वारा की जा रही इन जिज्ञासाओं के सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिउल्लिखित शासनादेश के उपरोक्त बिन्दुओं को निम्नवत् संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) अवकाश यात्रा सुविधा रेल के अलावा वायुयान या अन्य साधनों से भी की जा सकती है लेकिन सरकारी सेवक की अनुमन्यता की श्रेणी की धनराशि ही यात्रा भत्ता दावों में देय होगा।

(2) जिन स्थानों / प्रदेशों में रेल से जाने की सुविधा नहीं है वहाँ स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सड़क या नौका वाहन के साधन द्वारा भी यात्रा की जा सकती है, ऐसी स्थिति में यात्रा भत्ता दावा प्रस्तुत करते समय संबंधित क्षेत्र की सरकार / संस्था द्वारा लागू किराये के अनुसार ही दावे की प्रतिपूर्ति उस यात्रा की रसीद देयक के साथ प्रस्तुत करने पर की जायेगी। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित सरकारी सेवक के द्वारा लिखित रूप में प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि वहाँ रेल सुविधा नहीं है और अमुक सुविधा ही उपलब्ध थी।

2– उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 31 दिसम्बर, 2003 के प्रस्तर 10,11, व 12 केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझें जाएं और इसके शेष सभी प्राविधान यथावत् रहेंगे।

भवदीय,
राधा रतूड़ी
सचिव वित्त

संख्या 330 XXVII/(3)अ.या.सु. /2005

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़ माजरा, देहरादून।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
3. सचिव, राज्यपाल, उत्तरांचल।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
8. गोपन विभाग
9. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल एकक, देहरादून।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0)अनु–7
संख्या76 xxvii(7)या0भ0 / 2005
देहरादून:दिनांक30, नवम्बर,2005

कार्यालय ज्ञाप

उत्तरांचल एक पर्वतीय राज्य है और यहॉ की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेल यात्रा का आच्छादन अत्यधिक न्यून क्षेत्र में है तथा बसों से यात्रा करने के ही अधिकांश स्थानों के लिए साधन उपलब्ध है, जिस कारण रेल तथा वायुयान से यात्रा हेतु वेतनमान की श्रेणियॉ प्रदेश के अन्दर यात्रा करने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्यां सां – 4 – 395 / दस–99–600 / 99 दिनांक 11जून,1999 के स्लैब बहुत अधिक सन्दर्भगत नहीं रह गयी है । अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रदेश के अन्दर राज्य परिवहन निगम / उनके तत्वाधान में चल रही बसों पर की जाने वाली यात्राओं हेतु उपरिउल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11 जून,1999 के कम में अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन स्तर के अनुसार निम्नवत् अनुमन्यता निर्धारित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क0सं0	वेतन सीमा	यात्रा की अधिकृत श्रेणी
1.	रू0 8000या इससे अधिक प्रतिमाह वेतन पाने वाले	वातानुकूलित बस कोचेज़
2.	रू07999 या इससे कम प्रतिमाह वेतन पाने वाले	उक्त श्रेणी–1 के अलावा अन्य कोचेज

अनुषागिंक तथा दैनिक भत्ते की दरें पूर्ववत ही रहेंगी । उक्त श्रेणीयॉ केवल राज्य परिवहन निगम या उनके तत्वाधान में चल रही बसों के लिए ही लागू होंगी ।

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव ।

सेवामें,
समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तरांचल

संख्या76 XXvii(7)/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तरांचल शासन ।
2. सचिव,महामहिम श्री राज्यपाल,उत्तरांचल,देहरादून ।
3. सचिव,विधान सभा,उत्तरांचल,देहरादून ।
4. महालेखाकार,ओबेराय भवन सहारनपुर रोड़,माजरा,देहरादून ।
5. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाये,देहरादून ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,समस्त जनपद ।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
8. निदेशालय,एन0आई0सी0,उत्तरांचल,देहरादून ।
9. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)

अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्या– 78 /XXVII (7)/2009
देहरादूनः दिनांकः 1 मार्च, 2009

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण

अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2008) के चतुर्थ प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय सरकारी सेवकों को (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए) कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा–4–395/दस–99–600/99 दिनांक 11 जून, 1999 तथा इसके बाद समय–समय पर निर्गत शासनादेशों द्वारा स्वीकृत यात्रा भत्ता की दरों एवं व्यवस्थाओं को निम्न प्रकार से पुनरीक्षित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ सरकारी सरकारी सेवकों की अधिकृत श्रेणी

यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ सरकारी सरकारी सेवक अब नये वेतनमान में वायुयान, रेल से यात्रा करने हेतु निम्न प्रकार से प्राधिकृत होंगे।

ग्रेड वेतन (ग्रेड पे)	अधिकृत श्रेणी
ग्रेड वेतन रु012000 तथा HAG+ व उच्च	वायुयान का बिजनेस क्लास अथवा रेल का ए. सी. प्रथम श्रेणी/शताब्दी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास
ग्रेड वेतन रु010000 तथा शासन के अपर सचिव जो ग्रेड वेतन रु0 8900 में कार्यरत हों	वायुयान का इकोनोमी क्लास अथवा रेल का ए. सी.प्रथम श्रेणी/शताब्दी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास
ग्रेड वेतन रु0 5400,6600,7600,8700 व 8900 (शासन के अपर सचिव को छोड़कर)	रेल का ए.सी. टू टियर/प्रथम श्रेणी/शताब्दी एक्सप्रेस का चेयर कार
ग्रेड वेतन रु0 4200,4600 व 4800	रेल का ए.सी. थ्री टियर/प्रथम श्रेणी/ए.सी. चेयर कार (शताब्दी एक्सप्रेस को छोड़कर)
ग्रेड वेतन रु0 4200 से कम	रेल का स्लीपर क्लास

जो स्थान रेल से जुड़े न हो:–ए.सी. टू टियर अथवा उच्च श्रेणी से यात्र हेतु अधिकृत राजकीय सेवक ए.सी.बस से यात्रा कर सकते हैं। अन्य को डीलक्स/साधारण बस यात्र हेतु अधिकृत किया जा सकता है।

जो स्थान रेल से जुड़े हों:— रेल के अलावा पब्लिक ट्रॉन्सपोर्ट के अन्य माध्यमों से भी यात्रा की जा सकती है किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि किराया अनुमन्य रेल किराये से अधिक न हो।

यात्रा भत्ता देयक के साथ मूल टिकट/उसकी प्रति/टिकट संख्या संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

(2) आनुषांगिक व्यय—

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—3 के नियम 23(1) के अन्तर्गत सरकारी सेवकों को वर्तमान में वेतनमान के आधार पर अनुमन्य अनुषांगिक व्यय निम्न प्रकार से अनुमन्य होगा:—

ग्रेड वेतन(ग्रेड पे)	आनुषांगिक व्यय की दरें प्रति किलोमीटर
ग्रेड वेतन रु0 8900,10000,12000 तथा HAG+ व उच्च	50 पैसे
ग्रेड वेतन रु0 4200, 4600,4800,5400,6600, 7600 व 8700	35 पैसे
ग्रेड वेतन रु0 4200 से कम	20पैसे

वायुयान से की जाने वाली यात्राओं हेतु आनुषांगिक व्यय रूपया 50.00 प्रति यात्रा की दर से दिया जा सकता है।

(3) दैनिक भत्ता—

(क) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—3 के नियम 23 (जी)(1) के अधीन अनुमन्य दैनिक भत्ते की वर्तमान दरों के स्थान पर निम्नलिखित संशोधित दरें लागू होंगी:—

ग्रेड वेतन(ग्रेड पे)	देहरादून,नैनीताल व पौडी गढवाल के शहरी क्षेत्र	अन्य जिला मुख्यालय	शेष समस्त क्षेत्र
ग्रेड वेतन रु08900, 10000,12000 तथा HAG +व उच्च	रु0 350	रु0 250	रु0 200
ग्रेड वेतन रु0 4800, 5400,6600,7600 व 8700	रु0 250	रु0 190	रु0 160
ग्रेड वेतन रु0 4800 से कम	रु0 150	रु0 100	रु0 80

उपरोक्त तालिका के द्वितीय कालम में उल्लिखित नगरों में रु0 5400 अथवा अधिक ग्रेड वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों को होटल/अन्य संस्थान में ठहरने व स्थानीय यात्रा

हेतु निम्न दरों से प्रतिपूर्ति की जा सकती है:-

ग्रेड वेतन(ग्रेड पे)	प्रतिपूर्ति दर
ग्रेड वेतन रु0 8900,10000,12000 तथा HAG+व उच्च	रु0 1000
ग्रेड वेतन रु0 5400,6600,7600 व 8700	रु0 750

यात्रा भत्ता देयक के साथ उक्त व्यय का मूल वाउचर संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। प्रदेश के बाहर की यात्राओं हेतु निम्नानुसार धनराशि की प्रतिपूर्ति कही जा सकती है:-

ग्रेड वेतन (ग्रेड पे)	होटल/कैस्ट हाउस में अवस्थान करने पर दैनिक भत्ता	स्वयं की व्यवस्था पर दैनिक भत्ता
ग्रेड वेतन रु0 12,000 तथा HAG+व उच्च	होटल/गेस्टहाउस के लिये रू05000/- प्रति दिन तक की प्रतिपूर्ति, नगर के अन्दर 50 कि.मी. तक की यात्रा हेतु ए.सी.टैक्सी के चार्जेज की प्रतिपूर्ति तथा अधिकतम रू0500/- प्रति दिन भोजन का बिल	रू0 700/-प्रतिदिन, नगर के अन्दर 50कि.मी.तक की यात्रा हेतु ए.सी. टैक्सी के चार्जेज की प्रतिपूर्ति
ग्रेड वेतन रु0 10000 व 8900	होटल/गेस्ट हाउस के लिये रू0 3000/-प्रतिदिन तक की प्रतिपूर्ति,नगर के अन्दर 50 किमी0 तक की यात्रा हेतु नॉन ए.सी.टैक्सी के चार्जेज की प्रतिपूर्ति तथा अधिकतम रू0 300/-प्रतिदिन भोजन का बिल	रू0 600/- प्रतिदिन,नगर के अन्दर 50कि.मी.तक की यात्रा हेतु नॉन ए.सी.टैक्सी के चार्जेज की प्रतिपूर्ति
ग्रेड वेतन रु0 5400, 6600, 7600, 8700	होटल/गेस्ट हाउस के लिये रू0 1500 प्रतिदिन तक की प्रतिपूर्ति,नगर के अन्दर यात्रा हेतु रू0 150 प्रतिदिन की प्रतिपूर्ति तथा अधिकतम रू0 200 प्रतिदिन भोजन का बिल	रू0 450 प्रतिदिन,नगर के अन्दर यात्रा हेतु रू0150 प्रतिदिन की प्रतिपूर्ति
ग्रेड वेतन रु0 4800 से रू04200	होटल/गेस्ट हाउस के लिये रू0 500 प्रतिदिन तक की प्रतिपूर्ति,नगर के अन्दर यात्रा हेतु रू0 100 प्रतिदिन की प्रतिपूर्ति तथा अधिकतम रू0 150 प्रतिदिन भोजन का बिल	रू0 350 प्रतिदिन, नगर के अन्दर यात्रा हेतु रू0 100 प्रतिदिन की प्रतिपूर्ति
ग्रेड वेतन रु0 4200 से कम	होटल/गेस्ट हाउस के लिये रू0 300 प्रतिदिन तक की प्रतिपूर्ति,नगर के अन्दर यात्रा हेतु रू0 50 प्रतिदिन की प्रतिपूर्ति तथा अधिकतम रू0 100 प्रतिदिन भोजन का बिल	रू0 200 प्रतिदिन, नगर के अन्दर यात्रा हेतु रू0 50 प्रतिदिन की प्रतिपूर्ति

निशुल्क आवास अथवा निशुल्क आवास एवं भोजन दोनों उपलब्ध होने की दशा में दैनिक भत्ते की दर सामान्य दर के 25 प्रतिशत के बराबर रखी जाएगी।

(4) <u>सड़क द्वारा की जाने वाली यात्राओं के लिए सड़क मील भत्ता</u>:–

सरकारी सेवकों को सड़क द्वारा की जाने वाली यात्राओं के लिए वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम 23 (बी)(2) के अधीन सड़क मील भत्ता अनुमन्य है। सरकारी सेवकों को नये वेतनमानों में सड़क मील भत्ता उपरिउल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11 जून, 1999 द्वारा निर्धारित पूर्व दरों का डेढ़ गुना अनुमन्य होगा:–

(5) स्थानान्तरण की दशा में अन्य सुविधायें:–

(क) घरेलू सामान की ढुलाई:–

सरकारी सेवकों को उनके स्थानान्तरण के अवसर पर व्यक्तिगत सामान की ढुलाई के लिए वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम 42 (2)(1)(111) में अंकित भार की सीमा तक ढुलाई पर हुए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य है। सरकारी सेवकों को उनके नये पुनरीक्षित वेतनमानों में व्यक्तिगत सामान की ढुलाई पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अब निम्न सीमा के अधीन की जाएगी:–

ग्रेड वेतन(ग्रेड पे)	व्यक्तिगत सामान की ढुलाई की सीमा
ग्रेड वेतन रु0 7600,8700,8900,10000, 12000 तथा HAG+व उच्च	6000 किलोग्राम/चार पहिए का एक वैगन/एक डबल कन्टेनर
ग्रेड वेतन रु0 4200,4600,4800,5400, 6600	6000 किलोग्राम/चार पहिए का एक वैगन/एक सिंगल कन्टेनर
ग्रेड वेतन रु0 2800	3000 किलोग्राम
ग्रेड वेतन रु0 2800 से कम	1500 किलोग्राम

स्थानान्तरण पर सरकारी सेवक सामान्यतः अपने घरेलू सामान की ढुलाई सड़क मार्ग से ट्रक द्वारा करते हैं। प्रदेश के एक बड़े भू–भाग में रेल सेवाऐं उपलब्ध भी नहीं है। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सड़क मार्ग से घरेलू सामान की ढुलाई हेतु 30 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति किलोग्राम की दर से अनुमन्य होगा।

(ख) स्थानान्तरण पर वाहन की ढुलाई:–

ग्रेड वेतन(ग्रेड पे)	व्यक्तिगत वाहन की ढुलाई की सीमा
ग्रेड वेतन रु0 6600,7600,8700,8900, 10000,12000 तथा HAG+व उच्च	एक मोटर कार/मोटर साईकिल/स्कूटर
ग्रेड वेतन रु0 6600 से कम	एक मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड/साईकिल

(ग) एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदानः—

वर्तमान में अनुमन्य दरों को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है:—

(अ) जनपद के अन्तर्गत स्थानान्तरण की दशा में पैकिंग भत्ता की दर ग्रेड वेतन का 20 प्रतिशत।

(ब) एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानान्तरण की दशा में एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान की दर ग्रेड वेतन के दो गुना के बराबर रखी जाती है। HAG+व उच्च वेतनमान के अधिकारियों हेतु इसकी दर रूपया रु0 24000.00 रखी जाती है।

(6) यह आदेश दिनांक 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होंगे अर्थात् उन सभी यात्राओं के सम्बन्ध में लागू होंगे जो कि उक्त तिथि को या इसके पश्चात् प्रारम्भ हुयी हो परन्तु जिन मामलों में इन आदेशों के पूर्व प्रभावी नियमों/दरों के अधीन यात्रा भत्ता आहरित किया जा चुका होगा, उन्हें पुनरोद्घाटित नहीं किया जाएगा।

(7) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड—3 के सुसंगत नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किये जाएंगे।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

संख्या— 78(1)/XXVII (7)/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, उत्तराखण्ड देहरादून।
2— सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3— सचिव, विधानसभा उत्तराखण्ड।
4— रजिस्टार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6— सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
8— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0—सा0नि0)अनुभाग—7
संख्या—100/xxvii(7)/2009
देहरादूनः:दिनांकः31 मार्च,2009

<u>शुद्धि—पत्र</u>

शासनादेश संख्या—78/xxvii(7)/2009 दिनांक 1 मार्च,2009 के द्वारा वेतन समिति—2008 की संस्तुतियों पर लिये गये शासन के निर्णय के अनुसार यात्रा भत्ता की दरों में संशोधन किया गया था उक्त शासनदेश के प्रस्तर—5(क) के द्वितीय पैरा में टंकण त्रुटि के कारण 30 पैसे प्रति कुंतल के बजाय 30 पैसे प्रति किलोग्राम टंकित हो गया था अतः प्रस्तर—5(क) को निम्नानुसार पढ़ा जाय।

"स्थानान्तरण पर सरकारी सेवक सामान्यतः अपने घरेलू सामान की ढुलाई सड़क मार्ग से ट्रक द्वारा करते हैं। प्रदेश के एक बड़े भू—भाग में रेल सेवायें उपलब्ध भी नहीं है । इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सड़क मार्ग से घरेलू सामान की ढुलाई हेतु 30 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति कुंतल की दर से अनुमन्य होगा।"

शासनादेश संख्या—78/xxvii(7)/2009 दिनांक 1 मार्च,2009 को केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय तथा इसकी अन्य समस्त शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

<u>संख्याः (1)xxvii(7)/2009 तद्दिनांक</u>
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार,उत्तराखण्ड ओबेराय भवन,माजरा,देहरादून ।
2. सचिव,मा0 राज्यपाल,उत्तराखण्ड देहरादून ।
3. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून
4. रजिस्ट्रार जनरल,उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड।
7. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. निदेशक,एन0आई0सी0 ।
9. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(आर0सी0शर्मा)
संयुक्त सचिव।